कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सं0-4544 /दस-185(1)शीरा-नीति/2005-06 इलाहाबाद:दिनांक:नवम्बर 10 ,2005

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं0-7369/दस-185(1)/शीरा-नीति/2004-05 दि0-20.11.04 के संदर्भ में, मै गंगादीन यादव, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 की धारा-8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश सं0-3154ई-2/तेरह-2004-86/2005 दि0-9.11.05 के कम में शीरा वर्ष 2005-06 के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के संबंध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ :-

1- शीरा वर्ष 2005-06 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे के 10प्रतिशत अंश को प्रदेश के बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी । चीनी मिलों द्वारा उत्तरांचल राज्य में स्थित रासायनिक इकाईयों को बिक्री किये गये शीरे की मात्रा को इस 10प्रतिशत अंश में सम्मिलित नही किया जायेगा । शासनादेश सं0-1531ई-2/तेरह-2000-54/2000 दिनांक- 7 जून, 2000 द्वारा मेसर्स छाता सुगर मिल, मथुरा द्वारा उत्पादित समस्त शीरे को वर्ष 2006-07 तक के लिए पूर्णतया नियंत्रणमुक्त घोषित किया गया है। अतः निर्यात की उक्त सीमा छाता सुगर मिल, मथुरा के संबंध में शासनादेश दि0-7.6.2000 की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में लागू नही होगी एवं उक्त शासनादेश दि0-07-06-2000 पूर्ववत लागू रहेगा ।

2- उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शासनादेश सं0-2930ई-2/तेरह-2004-227/2000 दि0-20.9.2004 तथा शासनादेश सं0-1471ई-2/ तेरह-2005-227/2000 दि0-13.5.2005 के प्राविधानानुसार अविभाजित उत्तर प्रदेश की भांति वर्ष 2005-06 में शीरा उपलब्ध कराया जायेगा ।

3- प्रत्येक चीनी मिल में शीरा वर्ष 2005-06 में उत्पादित शीरे का 20प्रतिशत शीरा देशी मदिरा के लिये आरक्षित रहेगा तथा देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष आरक्षित शीरा विदेशी मदिरा के लिए शीरा नियंत्रक द्वारा आवंटित किया जायेगा । आरक्षित शीरे का निस्तारण आरक्षित/अनारक्षित के मध्य 1:4 के अनुपात में किया जायेगा । ऐसी चीनी मिलें, जिनके द्वारा देशी मदिरा का निर्माण किया जाता है, उस सीमा तक इस आरक्षण से मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे देशी मदिरा के निर्माण के लिये अपनी स्वंय की चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का स्वंय उपभोग करेंगी ।

4- शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर गत वर्ष की भांति प्रदेश के अंदर खपत के लिए, जिसमें उत्तरांचल राज्य को आपूर्ति किये जाने वाला शीरा सम्मिलित है, 11/- रूपये प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर 15/-रूपये प्रति कुन्टल यथावत रहेगा । शीरे पर आयात शुल्क गत वर्ष की भांति रूपया-11/- प्रति कुन्टल रहेगा ।

5- शीरा वर्ष 2004-05 की भांति शीरा निधि की धनराशि को अन्तईकाई हस्तान्तरण की सुविधा एक ही संगठन की सभी चीनी मिलों को प्रदान की जाएगी, किन्तु शीरा निधि का अन्तईकाई हस्तान्तरण करने के पूर्व शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

6- पेट्रोल में मिलाने के लिये पावर अल्कोहल की आपूर्ति के संबंध में भारत सरकार से हुए समझौते के अनुपालन हेतु सह-आसवनी (पावर अल्कोहल उत्पादन करने वाली) वाली चीनी मिलों में यदि शीरे की

कमी होती है और इस संबंध में उनका प्रत्यावेदन प्राप्त होता है, तो उस पर गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

7– माह अगस्त, 2006 के पश्चात् आरक्षित श्रेणी के शीरे की अविक्रीत मात्रा को फ्री सेल में बेचने की अनुमति के संबंध में यदि किसी इकाई का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है, तो उस पर शीरे की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

8– शीरा वर्ष 2005–06 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष 2006–07 में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक की वर्ष 2006–07 के लिए शीरा नीति की घोषणा नही कर दी जाती ।

9– उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शीरे का निर्यात तथा अन्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में शीरे का आयात इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पर ही किया जायेगा ।

10– शीरे पर आधारित इकाईयॉ शीरे का उठान शीरा पासबुक पर ही कर सकेंगी ।

(गंगादीन यादव) 10/11/05
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

सं0– 4545–4855 /दस–185(1)शीरा–नीति/2005–06 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ ।
2. समस्त संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जोन्स/चार्जेज, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
5. अध्यक्ष,उ0प्र0 चीनी मिल संघ,लखनऊ ।
6. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।
7. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ ।
8. अध्यक्ष,उ0प्र0 आसवक संघ,पी0एच0डी0 हाउस, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज,नई दिल्ली ।
9. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/प्रभारी आबकारी निरीक्षक, देशी मदिरा आपूर्तक आसवनी ।
10. समस्त देशी मदिरा उत्पादक आसवनियॉं,उत्तर प्रदेश ।
11. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य, देहरादून ।

(गंगादीन यादव) 10/11/05
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।